परिशिष्ट – (अ)

सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं ग्रामीण विकास

विशेष सन्दर्भ –जयापुर और दुल्लहपुर शंकर सिंह,उत्तरप्रदेश

शोधार्थी –निशा राय (एम०फिल०उपाधि हेतु)

महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा,महाराष्ट्र

नाम............. **पता -:....................**

मोबाइल न०-..................

मुक्त अनुसूची

1. सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में आप क्या जानते है?
2. यह योजना लागू होने के आप अपने गाँव में क्या परिवर्तन देखते है.
3. योजना लागू होने के बाद मानवीय जीवन के आधारभूत सुविधाओं जैसे-मकान,बिजली,शौचालय इत्यादि में क्या परिवर्तन आया है?
4. योजना लागू होने के बाद बुनियादी सुविधाओं जैसे-सड़क,स्वच्छ पेयजल,शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि में क्या सुधार हुये हैं?

5 .वैक्तिक विकास के लिए क्या कोई कौशल विकास और स्वरोजगार योजना संचालित की गयी है? क्या उससे लाभ मिला है?

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में योजना लागू होने के बाद इसकी सेवाओं में कितना सुधार हुआ है?
7. आंगनवाडी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है?
8. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे-बिमा योजना,विकलांग पेंसन,वृद्ध पेंसन इत्यादि की सुविधा एवं उसमे भागीदारी कितनी बढ़ी है?
9. इ-सुविधाओं जैसे-कृषि विज्ञान केंद्र, बैंक ग्राहक सुविधा,वाई-फाई इत्यादि की उपलब्धता कितनी सुनिश्चित हुयी है?
10. क्या योजना लागू होने के बाद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो रही है?
11. योजना के बाद ग्राम पंचायतो के स्वरुप में कोई परिवर्तन आया है या नहीं?

12. *ग्राम पंचायतों की बैठकों में लोगों की भागीदारी कितनी बढ़ी है?*
13. *क्या ग्राम पंचायत लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित का प्रयास कर रही है?*
14. *क्या ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सिनिश्चित हुयी है?*
15. *ग्राम पंचायत स्तर पर महिला भागीदारी कितनी बढ़ी है?*
16. *पर्यावरण विकास जैसे-वृक्षारोपण,मृदा संरक्षण, अवशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन इत्यादि के लिए क्या-क्या प्रयास किये गए है?*
17. *कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए क्या-क्या प्रयास किये गए है?*
18. *जलसंरक्षण के लिए क्या प्रयास किया गया है?*
19. *क्या गाँव में खेलकूद के लिए मैदान बनाया गया है?*

_परिशिष्ट – (ब)_

सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं ग्रामीण विकास

विशेष सन्दर्भ –जयापुर और दुल्लहपुर शंकर सिंह,उत्तरप्रदेश

शोधार्थी –निशा राय (_एम०फिल०उपाधि हेतु_)

महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा,महाराष्ट्र

_नाम............._ **_पता -:....................._**

_मोबाइल न०-_..................

पंचायती राज व्यवस्था

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिलेके बगदरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।

73वें संशोधन अधिनियम, 1993 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:

एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)

ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना

हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण

महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण

पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन

राज्य चुनाव आयोग का गठन

73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:

संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना

कर, डयूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार

राज्यों द्वारा एकत्र करों, डयूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण

ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।

गतिशील और प्रबुध्द ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है।

राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे:-

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करें।

गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना।

पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो।

ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों जैसे सीमांतीकृत समूह भाग ले सकें।

ग्राम सभा के लिए ऐसी कार्य-प्रक्रियाएं बनाना जिनके द्वारा वह ग्राम विकास मंत्रालय के लाभार्थी-उन्मुख विकास कार्यक्रमों का असरकारी ढंग़ से सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कर सके तथा वित्तीय कुप्रबंधन के लिए वसूली या सजा देने के कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हो सकें।

ग्राम सभा बैठकों के संबंध में व्यापक प्रसार के लिए कार्य-योजना बनाना।

ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए मार्ग-निर्देश/कार्य-प्रक्रियाएं तैयार करना।

प्राकृतिक संसाधनों, भूमि रिकार्डों पर नियंत्रण और समस्या-समाधान के संबंध में ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हो:

ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यों और उनके रख-रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना।

ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे होंगे।

73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो। ७४वें संविधान संशोधन

ग्राम सभा १९९३ की धारा ६(१) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया की एक ग्राम सभा होगी !धारा ८ पचायतो का गठन और धारा ९ द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया !

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४० में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया हैं। 1991मैं संविधान में ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी हैं।

- बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें (1957) -
- अशोक मेहता समिति की सिफारिशें (1977) -
- डॉ एल ऍम सिन्घवी समिति (1986) -
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी समिति की जाँच करने का अधिकार

परिशिष्ट